ट्रेन-18 का नाम 'वंदे भारत एक्सप्रेस' होगा : गोयल

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

देश में ही निर्मित ट्रेन-18 का नाम 'वंदे भारत एक्सप्रेस' होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को यह घोषणा की। ट्रेन-18 में अलग से कोई इंजन नहीं है। इस रेलगाड़ी के एक सेट में 16 डिब्बे लगे हैं। इसे पहले दिल्ली-वाराणसी के बीच चलाया जाएगा। इसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसे हरी झंडी दिखाएंगे।

ट्रेन-18 को रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्टरी ने रेकार्ड 18 महीने में तैयार किया है। इस पर 97 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे पुरानी शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है जो 30 साल पहले विकसित की गई थी। यह देश की पहली इंजन-रहित रेलगाड़ी होगी। पूरी तरह से वातानुकूलित इस रेलगाड़ी में दो एक्जीक्यूटिव कुर्सीयान होंगे। दिल्ली और वाराणसी के मार्ग पर यह बीच में कानपुर और इलाहाबाद भी रुकेगी।

गोयल ने कहा कि यह पूरी तरह से भारत में बनी रेलगाड़ी है। आम लोगों ने इसके कई नाम सुझाए लेकिन हमने इसका नाम 'वंदे भारत एक्सप्रेस' रखने का फैसला किया है। यह गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों के लिए एक तोहफा है। हम प्रधानमंत्री से इसे जल्द हरी झंडी दिखाने का अनुरोध करेंगे।

किसानों के लिए राहत पैकेज को जल्द मंजूरी दे सकता है मंत्रिमंडल

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल कृषि क्षेत्र के संकट से निपटने और उपज की गिरती कीमतों जैसी समस्याओं से निपटने के लिए किसानों को जल्द राहत पैकेज दे सकती है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव से पहले यह पैकेज लागू करेगी।

एक सूत्र ने कहा कि छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के निवारण के उपायों को लेकर कृषि मंत्रालय का एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के एजंडे में है। इस बीच, सूत्रों ने जानकारी दी है कि मंत्रिमंडल ने सोमवार को होने वाली बैठक को फिलहाल टाल दिया है। सूत्रों ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घकालिक दोनों समाधान प्रदान करने के लिए कई विकल्पों की सिफारिश की है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में होना है क्योंकि इसमें भारी भरकम राशि शामिल है।

सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विकल्पों में समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य फसलों के लिए बीमा पॉलिसी लेने वालों किसानों के लिए पूरी तरह से प्रीमियम माफ करने का भी प्रस्ताव है। सरकार तेलंगाना और ओड़ीशा सरकारों द्वारा अपनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन कर रही है, जिसके तहत एक निर्धारित रकम सीधे किसानों के खातों में डाली जाती है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार 2019-20 के बजट से पहले किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेगी। 2019-20 के लिए अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश होना है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के पास किसी भी नई योजना के क्रियान्वयन के लिए कम समय है।

केंद्रीय उपक्रमों में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसद आरक्षण एक फरवरी से

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां (सीपीएसई) अपने यहां सभी सीधी भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों (ईडब्लूएस) के लिए 10 फीसद आरक्षण कोटे को एक फरवरी से लागू करेंगी।

देश में कुल 339 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) हैं। इनमें 31 मार्च, 2018 तक कुल 13.73 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 2017-18 में 10.88 लाख थी। इनमें संविदा व दैनिक भत्ते पर काम करने वाले शामिल नहीं हैं।

सार्वजनिक कंपनियों में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश लोक उद्यम विभाग ने जारी किया है। विभाग ने कहा कि सभी मंत्रालयों व विभागों से अनुरोध है कि वे अपने अधीन आने वाले सभी सीपीएसई से यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि आर्थिक रूप से गरीब लोगों को 10 फीसद आरक्षण दिया जाए और यह 1 फरवरी, 2019 या इसके बाद अधिसूचित होने वाली सभी सीधी भर्तियों की भर्ती में लागू होगा। विभाग ने सार्वजनिक कंपनियों से 15 फरवरी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित श्रेणी में उनके द्वारा की जाने वाली भर्ती के बारे में हर पखवाड़े में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

इससे पहले कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने भी सभी मंत्रालयों और विभागों को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा था ताकि सीधी भर्तियों में बिना किसी विफलता के ईडब्लूएस श्रेणी के लिए आरक्षण को लागू किया जा सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मौजूदा योजनाओं के दायरे में नहीं आने वाले ऐसे लोग, जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम है, उनकी पहचान ईडब्लूएस श्रेणी के तौर पर की गई है और इन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

पांच एकड़ या इससे ज्यादा कृषि भूमि वाले परिवारों, एक हजार वर्ग फुट या इससे अधिक के आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर निगम क्षेत्र में सौ वर्ग गज या उससे अधिक की आवासीय भूमि और नगर निगमों के अधिसूचित इलाकों से बाहर के क्षेत्रों में 200 गज या इससे अधिक आवासीय भूमि के मालिकों को भी इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। हाल में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि उनके विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालय को आगामी अकादमिक वर्ष से आरक्षण लागू करने के लिए कहा है।

दिल्ली : बिजली कंपनियों को ई-रिक्शा चार्जिंग से 150 करोड़ का चूना

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली की संगठित चोरी से दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को सालाना करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है।

दिल्ली में तीन कंपनियां- बीएसईएस की बीवाइपीएल और बीआरपीएल व टाटा पावर देल्ही डिस्ट्रीब्यूशन बिजली की आपूर्ति करती हैं। एक आकलन के अनुसार शहर की सड़कों पर एक लाख से अधिक ई-रिक्शा दौड़ लगा रहे हैं। सरकार से छूट मिलने के बाद भी इनमें से महज एक चौथाई ही पंजीकृत हैं। बिजली विशेषज्ञों का दावा है कि समुचित चार्जिंग सुविधा की कमी से शहर के महत्त्वपूर्ण हिस्सों खासकर मेट्रो स्टेशनों के पास बिजली चोरी का संगठित गिरोह सक्रिय है।

उन्होंने कहा- चूंकि अधिकांश ई-रिक्शा पंजीकृत नहीं हैं, अवैध कनेक्शन के जरिए इन्हें चार्ज करने से करीब 150 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। टाटा पावर देल्ही डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय बंगा ने कहा कि हम बिजली चोरी करने के चलन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अवैध चार्जिंग पर कड़ी नजर रख रहे हैं। मैं सभी ई-रिक्शा मालिकों से वैध कनेक्शन लेने और सुरक्षित व कानूनी तरीके से वाहन चार्ज करने की अपील करता हूं।

सूत्रों ने कहा कि औसतन एक ई-रिक्शा रोज सात से दस यूनिट बिजली की खपत करता है। इस तरह साल में एक ई-रिक्शा करीब 2,500-3,600 यूनिट बिजली का उपभोग करता है। सामान्यतया रात को बिजली चोरी चरम पर रहती है। सूत्रों ने कहा कि संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, सराय काले खां, दक्षिणपुरी, रघुबीर नगर, टैगोर गार्डन, मादीपुर, सीलमपुर, यमुना विहार, शास्त्री पार्क, करावल नगर, मुस्तफाबाद, नंदनगरी, करोलबाग, कीकरवाला, केशवपुरम, सिविल लाइंस उन क्षेत्रों में शामिल हैं जहां ई-रिक्शा चार्ज करने के लिए सर्वाधिक बिजली चोरी होती है।

उन्होंने कहा कि दबंग किस्म के स्थानीय लोग सामान्यतया चार्जिंग व पार्किंग रैकेट चलाते हैं। वे ई-रिक्शा मालिकों से रोज सौ से डेढ़ सौ रुपए वसूल करते हैं। हालांकि वैध तरीके से ई-रिक्शा चार्ज करने का शुल्क 5.50 रुपए प्रति यूनिट है। सूत्रों ने कहा कि यदि ई-रिक्शा मालिक वैध तरीके से चार्ज करें तो उनका सौ-डेढ़ सौ रुपए का रोजाना खर्च कम होकर 50 रुपए पर आ सकता है।

गोयल बैंक प्रमुखों के साथ आज करेंगे बैठक

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक करेंगे।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा और सरकारी बैंकों की वित्तीय हालत बेहतर करने पर चर्चा किए जाने की संभावना है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जबकि सरकार एक फरवरी को 2019-20 का अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। इसी साल अप्रैल-मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं।

बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रह सकते हैं। मौद्रिक नीति समिति की सात फरवरी को बैठक होगी। नवनियुक्त गवर्नर दास के लिए समिति की यह पहली बैठक होगी।

पीयूष गोयल को पिछले बुधवार को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, क्योंकि अरुण जेटली अमेरिका में अपना इलाज करा रहे हैं। बैठक में बैंकों की फंसे कर्ज की स्थिति और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

जानकार सूत्रों ने बताया कि बैठक में सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के अनुपालन की समीक्षा भी होगी।

जीएसटी संग्रह में गिरावट से चिंतित अधिकारी करेंगे आइटीसी व्यवस्था की समीक्षा

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

माल व सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह में आई गिरावट से चिंतित कर अधिकारी कारोबारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का अधिक लाभ उठाने वाले मामलों की जांच शुरू कर सकते हैं। बड़ी संख्या में राज्यों में जीएसटी संग्रह में गिरावट के कारणों की जांच के लिए जीएसटी परिषद ने एक मंत्री समूह का गठन किया है। इस समूह की बैठक में आइटीसी के अधिक उपयोग का मुद्दा उठाया गया।

सूत्रों के अनुसार आदर्श स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट से राजस्व का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात की संभावना है कि कुछ कारोबारी इस प्रावधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए वह नकली बिल बना रहे हों। मंत्री समूह की बैठक के दौरान यह बात रखी गई कि कुल जीएसटी देनदारी में से 80 फीसद का निपटान इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए होता है। मात्र 20 फीसद कर ही नकद रूप से जमा कराया जाता है। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी का औसत मासिक संग्रह 96,000 करोड़ रुपए रहा है।

मौजूदा व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों का आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पहले चुकाए गए इनपुट कर से तत्काल सीधे मिलान किया जा सके। अभी यह मिलान आइटीसी का दावा हासिल कर लिए जाने के बाद जीएसटी नेटवर्क द्वारा जीएसटीआर-2ए के आधार पर किया जाता है। मिलान में घट-बढ़ निकलने के बाद कर अधिकारी कारोबारी को नोटिस भेजते हैं।

सूत्रों ने बताया कि अभी की व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा दाखिल करने और उनका मिलान करने में काफी समय का अंतर है। ऐसे में संभावना है कि कुछ दावे नकली बिलों के आधार पर किए जा रहे हों। एक बार नई रिटर्न प्रणाली आ जाने से अधिकारियों के पास वास्तविक समय में दावों का मिलान करने की सुविधा मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि राजस्व विभाग अब आइटीसी के दावों की अधिक संख्या में जांच करेगा तकि यह पता लगाया जा सके कि दावे उचित हैं या फर्जी।

इस वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.03 लाख करोड़ रुपए, मई में 94,016 लाख करोड़, जून में 95,610 करोड़, जुलाई में 96,483 करोड़, अगस्त में 93,960 करोड़, सितंबर में 94,442 करोड़, अक्तूबर में 1,00,710 करोड़, नवंबर में 97,637 करोड़ और दिसंबर में 94,726 करोड़ रुपए रहा।

शीर्ष चार कंपनियों की बाजार हैसियत 54,456 करोड़ बढ़ी

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

शीर्ष 10 कंपनियों में से चार का बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 54,456.69 करोड़ रुपए बढ़ गया। रिलांयस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण इस दौरान सर्वाधिक बढ़ा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण सर्वाधिक 40,123.60 करोड़ बढ़कर 7,89,953.18 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 6,998.2 करोड़ बढ़कर 7,20,101.39 करोड़ रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक का का बाजार पूंजीकरण 5,321.77 करोड़ बढ़कर 2,41,351.74 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का बाजार पूंजीकरण 2,013.12 करोड़ बढ़कर 3,79,462.96 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

आइटीसी का बाजार पूंजीकरण 14,512.60 करोड़ कम हुआ। एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 9,925.35 करोड़ कम होकर 5,69,654.78 करोड़ रुपए, आइसीआइसीआइ बैंक का बाजार पूंजीकरण 9,528.29 करोड़ कम होकर 2,30,019.68 करोड़, एसबीआइ का बाजार पूंजीकरण 8,879.96 करोड़ कम होकर 2,54,573.86 करोड़, एचडीएफसी का 5,235.79 करोड़ कम होकर 3,40,042.64 करोड़ और इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 349.49 करोड़ कम होकर 3,18,998.67 करोड़ रुपए पर आ गया।

सरकारी बैंक भी कर सकेंगे कर्ज नहीं चुकाने वालों पर निगरानी का अनुरोध

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निगरानी के नोटिस (एलओसी) जारी करने का सीधे अनुरोध करने का अधिकार दिया है जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं और जिनके देश से भागने की आशंका है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों के देश से भागने के मामलों को देखते हुए इस कमद को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह अनुरोध गृह मंत्रालय, पुलिस, सीबीआइ, सीमा शुल्क विभाग, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, आयकर विभाग जैसी एजेंसियों से किया जाता है। गृह मंत्रालय ने किसी संदिग्ध व्यक्ति के देश से भागने के शक की स्थिति में गंभीर कपट जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भी एलओसी का निवेदन करने का अधिकार दे दिया है।

मंत्रालय ने हाल ही में दो परिपत्र जारी कर सरकारी बैंकों के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व एसएफआईओ को जानबूझकर कर्ज भुगतान में चूक करने वाले किसी भी व्यक्ति के देश से भागने का शक होने की स्थिति में एलओसी का निवेदन करने का अधिकार दे दिया है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकारी बैंकों के सीएमडी और सीईओ अब यह अधिकार मिलने के बाद गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क विभाग, आयकर विभाग, राजस्व सतर्कता निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों व पुलिस से किसी व्यक्ति के खिलाफ एलओसी जारी करने अनुरोध कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी बैंक या एसएफआईओ को ऐसा शक हो कि कर्ज में चूक करने वाला व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है तो वे इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा करने का अधिकार सिर्फ जांच एजंसियों के पास था।

वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- 610-611, गुरु राम दास नगर, मेन मार्केट, एसबीआई बैंक के सामने, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092
कार्पोरेट कार्यालय:- प्लॉट नं. 862, उद्योग विहार औद्योगिक क्षेत्र, फेज-5, गुरुग्राम-122016
फोन:- 0124-2640030; फैक्स:- 0124-4640046; ई-मेल:- info@vmart.co.in;
वेबसाइट:- www.vmart.co.in; सी.आई.एन.:- L51909DL2002PLC163727

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के 29(2) के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक 5 फरवरी, 2019 मंगलवार को कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय में आयोजित करना निर्धारित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिसरी तिमाही के लिए कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तिय परिणामों पर विचार, अनमोदन कर उन्हे रिकार्ड में लिया जाएगा।
नोटिस की विस्तृत जानकारी कंपनी व शेयर बाजार की वेबसाईट (www.bseindia.com & www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।

कृते वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड
स्थान: गुरूग्राम — हस्ता./- मेघा टंडन (कंपनी सचिव)
दिनांक: 27.01.2019 — सदस्यता संख्या: A35532

एलसीआरडी/डिवीजन/नई दिल्ली,
द फेडरल टावर्स
ऊपरी भूतल, 2/2, वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008.
फोन नं. 011-40733980, 981, 982,
ईमेल: ndllcrd@federalbank.co.in

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

संदर्भ नं. NDLW/SPL- /2019 — तिथि: 25.1.2019

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. अश्वनी कुमार गुप्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता
2. श्रीमती पलक आनंद, पत्नी श्री अश्वनी कुमार गुप्ता

दोनों निवासी: मकान सं. 339, सेक्टर-3 एफ, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

आप में 1 ने प्रधान ऋणधारक के रूप में तथा 2रे ने सह-देनदार के रूप में नोएडा/बोटैनिकल गार्डन में उसकी शाखा के माध्यम से बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद द फेडरल बैंक लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय अलवाये में है (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित) से कार ऋण सुविधा प्राप्त की है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधा की प्रतिभूति के लिए आप में 1 ले ने अधोलिखित संपत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है:-

हाइपोथेकेटेड चल सम्पत्तियों का विवरण

ब्रैंड न्यू कार- मारुति बलेनो 1.2, डेल्टा, वर्ष 2016 मॉडल, सैलून बॉडी कलर ग्रेनाईट ग्रे, चैसिस नं. MA3EWB22SGM277528, इंजिन नं. 4216113, पंजीकरण सं. DL-2C-AW-3910 जो पंजीकर्ता प्राधिकरण (एमबी) आईपी डिपो, दिल्ली के अंतर्गत पंजीकृत है।

उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/ गिरवी संपत्तियां यहां के बाद "प्रतिभूत परिसंपत्तियों" के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक की नोएडा/ बोटैनिकल शाखा में कार ऋण खाता 191774400000134 के अंतर्गत 31.12.2018 को रु. 4,24,475.00/- (रुपये चार लाख चौबीस हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) की राशि आप पर संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओं को गैर-प्रचालन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। सह-लेनदार/ सह-ऋणधारक के रूप में तथा साथ ही कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से आप सभी बैंक की बकाये के भुगतान के लिये उत्तरदायी हैं।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 01.01.2019 से भुगतान की तिथि तक मासिक रेस्ट्स के साथ 9.55% की दर पर आगे के ब्याज तथा 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज तथा लागतों के साथ उक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा उसके अंतरण अथवा आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।

सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले में वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना 5 जनवरी, 2019 को जारी की गई थी तथा वह आपको सर्व नहीं की जा सकी जिस कारण से सरफेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है।

यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है।

आज, 25 जनवरी, 2019 को

तिथि: 25.1.2019 — द फेडरल बैंक लि. के लिए,
स्थान: नई दिल्ली — (प्राधिकृत अधिकारी)

एनटीपीसी NTPC एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन : L40101DL1975GOI007966
पंजीकृत कार्यालय : एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003,
फोन : 011-24360100, फैक्स सं. : 011-24361018
ई-मेल : isd@ntpc.co.in, वेबसाइट : www.ntpc.co.in

एनटीपीसी लि. के शेयरधारक ध्यान दें

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (5) और निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम, 2016) के तहत, किसी भी कम्पनी को अप्रदत्त रही तथा इस राशि के अंतरण की तिथि से सात (7) वर्षों की अवधि तक दावा रहित अप्रदत्त लाभांश राशि को, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (कोष) में हस्तांतरित करने को कंपनी बाध्य है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) तथा आईईपीएफ नियम, 2016 के अनुपालन में, ऐसे सभी शेयरों को आईईपीएफ खाते में अंतरित किया जाएगा, जिसके लिये लगातार सात वर्षों या अधिक से लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है।

ऐसे शेयरों जिसके लिये अक्टूबर, 2018 तक लगातार सात वर्षों में लाभांश दावा रहित अथवा अप्रदत्त रहा था, को पहले ही आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमेट खाता में अंतरित कर दिया गया है। ऐसे शेयर धारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in पर उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2011-12 के लिये प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 3.50 की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान 09.02.2012 को किया गया था। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त लाभांश की अप्रदत्त तथा दावा-रहित राशि 26.02.2019 को कोष में अंतरित होने के लिये देय हो जाएगी। ऐसे धारकों के वह शेयर जिनका लगातार सात वर्षों से लाभांश का भुगतान/दावा नहीं हुआ है, वह भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में हस्तांतरण के लिए बाध्य हैं।

शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि यदि राशि/शेयरों को कोष में अंतरित कर दिया जाता है, तो आईईपीएफ नियम, 2016 के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर उसे 'निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण' से वापस प्राप्त करने का दावा करना होगा। 'निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण' से रिफंड/शेयरों का दावा करने की असुविधा से बचने के लिये, ऐसे शेयरधारक जिन्होंने फरवरी, 2012 में प्रदत्त वित्त वर्ष 2011-12 के अंतिम लाभांश से संबंधित वारंन्ट्स प्राप्त/उसका दावा/उसका नगदीकरण नहीं किया है, वे अपने दावे आरटीए अर्थात-अलंकित एसाइनमेंट्स लि. (यूनिट : एनटीपीसी लि.), अलंकित हाइट्स, 1ई/13, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, टेली. : (011)-4254 1956, 4254 1966, फैक्स : (011) – 4154 3474 तथा ईमेल: alankit_ntpc@alankit.com के पास अथवा ऊपर दर्शाये गये पते पर निवेशक सेवा विभाग, एनटीपीसी लि. में दाखिल कर सकते हैं। **शेयरधारक कृपया यह सुनिश्चित करें कि दावे, यदि कोई हो, 25.02.2019 को या उससे पूर्व आरटीए/एनटीपीसी लि. को प्राप्त हो जाये ताकि अप्रदत्त/दावा रहित लाभांश राशि तथा शेयरों को इस कोष में अंतरित न किया जाये।**

शेयरधारक दावा रहित/अप्रदत्त लाभांश के संबंध में अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट www.ntpc.co.in के 'निवेशक' अनुभाग के अन्तर्गत 'आईईपीएफ विवरणों' में देख सकते हैं। आगामी अप्रदत्त/दावा रहित लाभांशों और शेयरों के लिए आईईपीएफ में दावा करने की अंतिम तिथियां निम्नलिखित हैं :

वित्त वर्ष	लाभांश का प्रकार	लाभांश का %	दावे दाखिल करने की अंतिम तिथि
2011-12	अंतिम	5.00%	16.10.2019
2012-13	अंतरिम	37.50%	31.03.2020
2012-13	अंतिम	20.00%	16.10.2020

एनटीपीसी लि. ने मार्च, 2015 में बोनस डिबेन्चर्स भी जारी किये थे। आज की तारीख में, कुछ डिबेन्चर्स भी दावा रहित पड़े हैं। निवेशकों से यह भी अनुरोध है कि वेबसाइट : www.ntpc.co.in के 'निवेशक' खंड के अंतर्गत ऐसे दावा-रहित डिबेन्चर्स के विवरणों की जांच कर लें तथा ऊपर दर्शाये गये पते पर कार्वी फिनटेक प्रा. लि. (बोनस डिबेन्चर्स हेतु आरटीए)/कम्पनी के पास दावे दाखिल करें।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में धारित शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) तथा भौतिक पद्धत्ति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी/आरटीए के पास अपने ईमेल आईडी तथा अन्य संबंधित विवरणों को अपडेट कराते रहें।

एनटीपीसी लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से
हस्ता/-
(नंदिनी सरकार)
कम्पनी सचिव

तिथि : 25.01.2019
स्थान : नई दिल्ली

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SEBI CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016 FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

SINGHAL CORPORATION LIMITED

(CIN: U74999DL1984PLC018468)
Registered Office: Plot No. 25, 2 Block, B Basement, Okhla Industrial Area, Phase - II, Near Modi Flyover, New Delhi - 110020
Email ID: singhallimited@gmail.com; Phone No: 011-2638 8222

This Public Announcement **("PA")** is being issued by Mr. Dewat Singhal, Promoter of Singhal Corporation Limited **("SCL"/"The Company")** in terms of SEBI Circular no. **SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110** dated **October 10, 2016** (hereinafter referred to as "SEBI Circular"). SCL was listed on Ahmedabad Stock Exchange Limited **("ASE")** and Delhi Stock Exchange Limited ("DSE"), which is now derecognized by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). Consequently, SCL has been moved to Dissemination Board of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE"). SCL was mainly engaged in the business of Textile Trading which was discontinued in the Financial Year 2000-2001. Presently, the Company is engaged in Digital Marketing and earning Commission Income from Digital Marketing.

SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated October 10, 2016 (SEBI Circular), has stipulated the procedure and process for exit of Exclusively Listed Companies (ELC) from the Dissemination Board. As provided in clause (i) of Annexure A of SEBI Circular, SCL has appointed Mark Corporate Advisors Private Limited, Merchant Banker, as an Independent Valuer, from NSE's and BSE'S panel of expert valuers. The said Independent Valuer, after taking into consideration on the applicable valuation methodologies, has issued SCL its Valuation Report dated 18th January, 2019. As per the Valuation Report issued by Independent Valuer, the fair value/exit price per share of the Company is Nil as Net Assets Value (NAV) is ₹ 0.33 (negative) per equity share.

As per clause (i) of Annexure A of the said SEBI circular, in case the fair value determined is positive, the promoters of the Company shall acquire shares from the public shareholders by paying them such value as determined by the valuer. Since, the Fair Value of the Equity Shares of SCL is negative; the promoter will not be acquiring any shares from the public shareholders of SCL with no liability to make payment to the said public shareholders of SCL.

Details of Share Capital of the Company as on 14th January, 2019, being the date of Letter of Intent given to NSE:

Category	No. of shareholders	No. of Equity Shares held	%
Promoter	1	11,74,520	14.93
Public	409	66,90,550	85.07
Total	**410**	**78,65,070***	**100.00**

**The Equity Shares of SCL are in Physical mode.*

In view of the above, the Company/Promoter will be submitting necessary documents to NSE requesting them to remove the name of SCL from the Dissemination Board. We undertake to redress the grievances of all public shareholders pursuant to the removal of the name of the Company from the Dissemination Board of NSE and BSE.

Sd/-
Dewat Singhal
(Promoter of Singhal Corporation Limited)

Place : Mumbai
Date : 28.01.2019

विकल्प सेक्युरिटीस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 25/38, कराची खाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
सीआइएन: L65993UP1986PLC007727, टेलिफोन: 0512-2372665
ईमेल: vikalpsecuritieslimited@gmail.com
वेबसाइट: www.vikalpsecurities.com

सूचना

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1)(a), विनियमन 33 तथा विनियमन 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निर्देशक मंडल की बैठक मंगलवार, 05 फरवरी, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 25/38, कराची खाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001 में होगी जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त हुई तिमाही की अवधि के कंपनी के गैर लेखा परीक्षित वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। सम्बंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.vikalpsecurities.com तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

विकल्प सेक्युरिटीस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
अरुण केजरीवाल
प्रबंध निर्देशक
DIN (डिन): 00687890

स्थानः कानपुर
दिनांकः 28 जनवरी, 2019

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

निविदा आमंत्रण सूचना

एमटीएनएल, नई दिल्ली की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

1. सं. ईई(ई-एस)/एमटीएनएल/बीसीपी/एनआईटी/2018-19 एई(ई) बीसीपी, दिल्ली के अधीन विभिन्न आरएसयू/आरएलयू साइटों एवं टी.ई. बिल्डिंग में डीईए सेटों के व्यापक रखरखाव के लिए ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित लागत रु. 34,08,000/-)
2. सं. ईई(ई-एन)/एमटीएनएल/आरएचएन/एनआईटी/2018-19/05 ईई(ई-एन) रोहिणी, दिल्ली के अधीन विभिन्न आरएसयू/आरएलयू साइटों एवं टी.ई. बिल्डिंग में डीईए सेटों के व्यापक रखरखाव के लिए ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित लागत रु. 21,60,000/-)
3. सं. सीनियर मैनेजर(टीएक्स-एमएम)/ऑप्टिकल पावर मीटर/2018-19/11 'ऑप्टिकल पावर मीटर' की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित लागत रु. 16,68,520/-) अन्य कोई भी संशोधन/परिशिष्ट, शुद्धिपत्र आदि को केवल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
4. सं. ईई(ई)/आरएचएन/एमटीएनएल/एनआईटी/2018-19/15 टी.ई. बिल्डिंग, जनकपुरी सब स्टेशन एमटीएनएल नई दिल्ली में लगे एचटी/एलटी स्विच गेयर और पैनल के एसआईटीसी के लिए ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित लागत रु. 34,46,850/-)

ऑनलाइन निविदा हेतु कृपया हमारी ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट http://www.tcil-india-electronictender.com एवं http://www.eprocure.gov.in देखें।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट http://www.etender.mtnl.net.in एवं http://www.tenders.gov.in देखें।

पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!